

14/8/15 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप./
अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-14/8/15 को पेश हो।

22
11
5/9

19/8/15 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप./
अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-19/8/15 को पेश हो।

27/8/15 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप./
अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-27/8/15 को पेश हो।

4/9 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप./
अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-4/9/15 को पेश हो।

9/9/15 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप./
अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-9/9/15 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप./
अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक- को पेश हो।

14/11/15 पूर्व जित पेशी पर इकठ्ठा पेशी

आज ही जित जित वाले प्र जितक शक
पेश हुई पत्रावली वाले अतिरिक्त कार्यवाही हुए
दिनांक 15/11/15 को पेश हो।

15/11/19 बहुलाय उपस्थित। प्रतिवादी को
 1, 4, 6 ता 9, 14 ता 18, 21, 23, 24 व 25
 ने मासिक तक ज 919 पेअ कही किता है
 ज 919 पेअ किता जात है। योअ अपुअ
 रक 2, 3, 5, 10 ता 13, 19, 20, 27 ता 29 की ताकि
 समक सम ल एके पमखली पर पेअ कुअ है।
 तथा प्रतिवादी जण मु 22 व 25 की ताकि
 वादपक म है कुअ है दावा + प्र. लाय सम
 है सिपायोन है अतः ताकि अपुअ रक 22 व 25
 समक मानी जात है। बावजूद समक ताकि रक
 अपुअ गण अउपस्थित रहे अतः अपुअ गण जो
 2, 3, 5, 10 ता 13, 19, 20, 22, 25, 27 ता 29 के सिख
 एकतरम कार्यवाही समक म लायी जात है।
 बहल T.I. पर उम प पडकारा सुनी गयी।
 पमखली व पमखली पर समक्य किता
 का अयलोक किता गयी। मूल वाद म पाण्डि
 जात है कुअ है। अतः मूल वाद के निर्णय तक
 उम प पडकारा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
 किता जाना उचित है। अतः प्राप्तिगण का प्राप्ति
 स्वीकार किता जाकर आदेश दिता जाता है कि:-

आदेश


कृषि भूमि खण्ड 535, 536, 650 ता
 657, 659 ता 668 किता-20 कुल रक 11.77
 है 0 तन ग्राम रजिपुरा प 0 ए 0 कासरडा तहसील
 खडोला जिता रजिपुरा राजस्थान का उम प

नम्बर व त
अहकाम ज
हुकम की त
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

हुकम

पक्षकारान को ता दौरान वाद अरिष्ट
अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है
कि इस वाद अस्त भूमि के रिकार्ड की
अथास्थिति बनाए रखे। पक्षपक्षी फैसल
सुनार छोटे नम्बर ले कर हो। वाद भूमि
वाद के साथ हम किया हो।



(वसुधैव कुटुम्बकम्)
RMS